पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2019

अनवान :

1. ज्ञानसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना।
2. रामसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 एनटीआर के खाता सं0 112/106(1) के मु0नं0 4 के किला नं0 16, 17, 24, 23/2 व 25 की कुल 1.025 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 102/92(1) के मु0नं0 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 11 व 19/1, 20, 21, 22/1, 23/1 की 0.862 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 5/1 की 0.051 है0 कुल 2.178 है0 नहरी व बारानी जो कि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है से महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन कर वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है वह यथावत् रहेगी। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

30.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2019

अनवान :

1. ज्ञानसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना।
2. रामसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 30.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नेठराना के चक 7 एनटीआर के खाता सं0 39/37 के मु0नं0 4 के किला नं0 18 की 0.253 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व इसी चक के खाता सं0 112/106(1) के मु0नं0 4 के किला नं0 16, 17, 24, 23/2 व 25 की 1.025 की 1.025 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है तथा इसी चक के खाता सं0 112/106(4) के मु0नं0 4 के किला नं0 19 की 0.253 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

रोही मौजा चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 102/92 (1) के मु0नं0 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 11 व 19/1, 20, 21, 22/1, 23/1 की 0.862 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 5/1 की 0.051 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 2.178 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है।

तहसील नोहर के रोही मौजा गोगाना के चक 9 डीपीएन के खाता सं0 22/21 के मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम 41.66 हिस्सा यानी 0.527 है0 नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। जिला जैसलमेर में भी रोही मौजा 35 आरडी में भी वादी के पिता के नाम करीबन 17–1/2 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह को चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 102/92 (1) व चक 7 एनटीआर के खाता सं0 112/106(1) की कृषि भूमि अपने पिता सोहनलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की

30.7.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी ज्ञानसिंह के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 39/37, 112/106/107 सम्वत् 2074–77 की प्रदर्श 2 व 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 102/92 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 डीपीएन के खाता सं0 22/21 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 5, आंशिक नकल नक्शा प्रदर्श 6, 7 व खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम 15एसएमजी प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है जिसमें वादी का जन्म हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 7 एनटीआर के खाता सं0 112/106(1) व चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता 102/92(1) के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद ने अपने दावा में जाहिर किया है कि वाद वादी दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता सोहनलाल से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 39/37, 112/106/107 सम्वत् 2074–77 की प्रदर्श 2 व 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 102/92 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है जिनमें पूर्व की प्रविष्टि वादी के दादा सोहनलाल वल्द हीराराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में महेन्द्रसिंह के वारिसान में पत्नि सुमित्रा, दो पुत्र ज्ञान सिंह व रामसिंह मौजूद होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इसके अलावा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है तथा मुताबिक राजीनामा चक 7 एनटीआर के खाता सं0 112/106(1) के मु0नं0 4 के किला नं0 16, 17, 24, 23/2 व 25 की 1.025 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 102/92(1) के मु0नं0 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 11 व 19/1, 20, 21, 22/1, 23/1 की 0.862 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 5/1 की 0.051 है0 नहरी व बारानी जो कि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज से महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन करवाया जाकर वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामसिंह के नाम बहिस्सा बराबर की घोषणा करवा उनके नाम दर्ज करवाने व शेष कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है वह यथावत् रखे जाने पर सहमति प्रकट की है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

30.7.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 एनटीआर के खाता सं0 112/106(1) के मु0नं0 4 के किला नं0 16, 17, 24, 23/2 व 25 की कुल 1.025 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 102/92(1) के मु0नं0 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 11 व 19/1, 20, 21, 22/1, 23/1 की 0.862 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 5/1 की 0.051 है0 कुल 2.178 है0 नहरी व बारानी जो कि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है से महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन कर वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है वह यथावत् रहेगी। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
RAS
भादरा (जिला-हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़